



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 08/2025/D-54

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 268442 दिनांक 24/11/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Mangi Lal S/o Brijmohan	श्री गोविन्द आकड पुत्र श्री सीताराम आकड	A-5	131.94 SQ. YARD	Cooperative	NARAYAN VIHAR (HASANPUR A-A GNSS) Sector/Block-A	Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) Original Lease Deed (Patta)	आवेदक मांगीलाल कुमावत पुत्र श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर हसनपुरा ए गृ.नि.स.स. की योजना नारायण विहार के भूखण्ड संख्या ए-5 क्षेत्रफल 131.94 व0ग0 का लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा जारी किये जाने हेतु आवेदन किया गया है। हसनपुरा ए गृ.नि.स.स. की योजना नारायण विहार के भूखण्ड संख्या ए-5 क्षेत्रफल 131.94 व0ग0 की लीजडीड श्री गोविन्द आकड पुत्र श्री सीताराम आकड के नाम जारी की गई। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 11.08.2005 को



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण का बैचान श्री अजय कुमार पेमानी पुत्र श्री लक्ष्मण दास पेमानी को किया गया। तत्पश्चात् इनके द्वारा दिनांक 22.02.2007 को जरिये रजि0 विक्रय पत्र के माध्यम से उक्त भूखण्ड सम्पूर्ण का बैचान आवेदक मांगीलाल कुमावत पुत्र श्री बृजमोहन कुमावत को किया गया।	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue Free Hold E-Patta in lieu of already issued Patta (Lease Deed) | Original Lease Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Mangi Lal S/o Brijmohan को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |